ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

|A Monthly, Peer Reviewed Journal| Impact Factor: 6.209|

Vol. 4, Issue 11, November 2015

सत्याग्रह के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमिका

Dr. Sucheta Gupta

Lecturer, Department of Political Science, Government College, Bibirani, (Alwar) Rajasthan, India

सत्याग्रह की विधि, राजनीति को गाँधी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। गाँधी को इसकी प्रेरणा रूपी लेखक-विचारक टाल्स्टॉय की रचनाओं से मिली। अमरीकी विचारक थ्यूरो ने भी सविनय अवज्ञा के विचार का प्रतिपादन किया था. और व्यक्तिगत तौर पर इसका प्रयोग भी किया था। गाँधी ने इसे और भी विकसित किया, और पहली बार इसे बड़े पैमाने पर राजनीति में इसका इस्तेमाल किया। सत्याग्रह की विधि पर प्रयोग गाँधी ने पहले-पहल दक्षिण अफ्रीका में उन कानूनों के विरूद्ध किया जिनके द्वारा भारतीय लोगों के साथ भेदभाव बरता जाता था। उस समय इस विधि को 'निष्क्रिय प्रतिरोध" के नाम से जाना जाता था। बाद में गाँधीवाद में गाँधी ने इसे "सत्याग्रह" का नाम दे दिया, क्योंकि उनके अनुसार यह निष्क्रय नहीं, बल्कि एक सक्रिय विधि है।

भारत की स्वतंत्रता के आन्दोलन में गाँधी ने पहली बार सत्याग्रह की विधि का इस्तेमाल चम्पारण (बिहार) में किया। इसके बाद से सारे भारत में ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत की राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दलों और गैर-दलीय समूहों एवं आन्दोलनों द्वारा इस विधि का प्रयोग किया गया है। सत्याग्रह की विधि का इस्तेमाल सिर्फ सरकार के विरूद्ध ही नहीं, बल्कि छूआछूत जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के विरूद्ध भी किया गया है। गाँधी के अनुसार सत्याग्रह की विधि का इस्तेमाल परिवार में भी किया जा सकता है।

"सत्याग्रह" शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है "सत्य" और "आग्रह"। "सत्याग्रह" का अर्थ है "सत्य के लिए आग्रह"। सत्याग्रही दृढ़ निश्चय के साथ, हर कष्ट को सहता हुआ और हर त्याग करता हुआ, सत्य पर टिका रहता है। गाँधी के अनुसार सत्य को अहिंसा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। "अहिंसा" की व्याख्या गाँधी भावात्मक रूप से करते थे। उनके अनुसार "अहिंसा" का अर्थ मात्र हिंसा का अभाव नहीं, बल्कि प्रेम हैं। सत्याग्रह में प्रेम और संयम के साथ सामने वाले व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरह, सत्याग्रह की विधि सत्य और अहिंसा के नैतिक मूल्यों पर आधारित है।

सत्याग्रह की विधि सत्य और अहिंसा के नैतिक मूल्यों पर तो आधारित है ही। इसके अलावा, सत्याग्रह के मूल में यह विश्वास भी निहित रहता है कि प्रत्येक मानव मूलतः स्वभाव से अच्छा होता है। इसलिए, सत्याग्रह का उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति को पराजित या अपराजित करना नहीं होता है, बल्कि उसकी अन्तर्निहित मानवीय भावनाओं को जगाकर, उसके विचारों में परिवर्तन लाना होता है। सत्याग्रही का उद्देश्य प्रेम द्वारा गलत काम करने वाले व्यक्ति की न्याय की भवना को जगा कर उसे सुधारना होता है।

गाँधी साध्य और साधन की एकता में विश्वास रखते थे। उसकी यह मान्यता थी कि साधन को साध्य के अनुरूप होना चाहिएं उनके अनुसार आदर्श समाज के सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए, और इस लक्ष्य को सत्य और अहिंसा पर आधारित विधि या सत्याग्रह की विधि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

गाँधी के अनुसार सत्याग्रह का इस्तेमाल अंतिम औजार के रूप में में किया जाना चाहिए। सत्याग्रही व्यक्ति को पहले निष्पक्ष भाव से इस बात की जाँच कर लेनी चाहिए कि उसकी अपनी माँगे सही या न्यायोचित है या नहीं। उसे अपने दिमाग से समाने वाले व्यक्ति के प्रति हिंसा और नफरत की भावना को पूरी तरह निकाल देना चाहिए। पहले सामने वाले व्यक्ति को समझा बुझा कर उसके विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हर कदम पर सामने वाले व्यक्ति को सुधरने का पूरा मौका देना चाहिए। अगर इसमें सफलता न मिले, तभी अन्तिम विकल्प के रूप में सत्याग्रह का रास्ता अपनाना चाहिए। वैसे, व्यापक अर्थ में सामने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न भी सत्याग्रह का अंग है।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

|A Monthly, Peer Reviewed Journal| Impact Factor: 6.209|

Vol. 4, Issue 11, November 2015

गाँधी के अनुसार सत्याग्रह की विधि को अपनाने के लिए नैतिक तैयारी जरूरी है। सत्याग्रही को निस्वार्थ, निर्भय, ईमानदार और अनुशासित होना चाहिए। इसके अलावा, सत्याग्रही को कष्ट सहने और त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सत्याग्रही को मन, वचन और कर्म से सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। सत्याग्रही को मन, वचन और कम्र से सत्य और अहिंसा का पालन करना चहिए।

सत्याग्रही की कथनी और करनी में एकता भी बहुत जरूरी है। सत्याग्रही व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को उन बुराइयों से मुक्त कर लेना चाहिए, जिनके विरूद्ध वह संघर्ष कर रहा हो। इन सब बातों के अलावा यह भी जरूरी है कि सत्याग्रही मानव की अन्तर्निहित अच्छाई में विश्वास रखता हो। अगर नैतिक तैयारी के बिना सत्याग्रह की विधि का उपयोग किया जाए, तो वह प्रभावी नहीं रह जाता है, और सफलता की संभावना भी कम हो जाती है।
गाँधी के अनुसार सत्याग्रह कमजोर लोगों का हथियार नहीं है। सत्याग्रह के लिए हर तरह का कष्ट-लाठी, गोली और यहाँ तक कि मृत्यु का सामना करने का साहस चाहिए। अगर सत्याग्रही व्यक्तियों में अपनी माँगों के न्यायोचित होने पर पूरा विश्वास न हो, और दमन का सामना करने का नैतिक बल न हो, तो फिर ऐसे में सत्याग्रह पर आधारित आन्दोलन अधिक समय तक चल नहीं सकता है।
सत्याग्रह के कई रूप हैं-

(1) सविनय अवज्ञा इसके अनतर्गत किसी अनुचित समझे जाने वाले कानून को तोड़ने, और टैक्स नहीं देने का अभियान शामिल है। लेकिन कानून तोड़ने के बाद सत्याग्रही स्वेच्छा से उसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहता है। उदाहरण के तौर पर, स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान गाँधी द्वारा "नमक सत्याग्रह" के जरिए नमक कानून को तोड़ा गया थ।
(2) असहयोग अन्याय करने वाले व्यक्ति या सरकार से असहयोग करना।
(3) बन्द या हड़ताल विरोध व्यक्त करने के लिए काम-काज बन्द कर देना।
(4) अनशन विरोध व्यक्त करने के लिए, किसी माँग के समर्थन में या अच्छी भावनाओं को जगाने के लिए उपवास करना।

गाँधी ने हिन्दू मुस्लिम दंगों को शान्त करने के लिए और कई अन्य अवसरों पर आमरण अनशन का सहारा लिया था। कभी-कभी यह प्रश्न भी उठता है कि सत्याग्रह की विधि संवैधानिक है या असंवैधानिक। भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में सत्याग्रह की विधि को अपनाने का क्या औचित्य है? सत्याग्रह के अन्तर्गत कई बार नागरिकों द्वारा उन कानूनों को जान-बूझकर तोड़ा जाता है, जिन्हें वे अन्यायपूर्ण समझते हैं इसलिए, अगर हम संवैधानिक विधि की व्याख्या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के रूप में करते हैं, तो सत्याग्रह की विधि असंवैधानिक मालूम देती है। लेकिन सत्याग्रह के अन्य रूप भी हैं, जैसे, बन्द या हड़ताल।

अगर किसी मुद्दे पर अपनी असहमति या विरोध व्यक्त करने के लिए नागरिक स्वेच्छा से काम काज बन्द कर देते हैं. तो इसमें असंवैधानिक कुछ भी नहीं है। सविनय अवज्ञा के अन्तर्गत सत्याग्रही द्वारा कानून को जरूर तोड़ा जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी सत्याग्रही उस कानून को तोड़ने की कानून द्वारा निर्धारित सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहता है। इस तरह सत्याग्रही कानून को तोड़ते हुए भी सरकार के कानून बनाने और उसे लागू करने के अधिकार को चुनौती नहीं देता है, बल्कि वह स्वयं कष्ट सह कर किसी कानून-विशेष के अन्यायपूर्ण चरित्र की ओर अपनी सरकार और आम जनता का ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए सत्याग्रह की विधि को हिंसा और आतंकवाद की तरह पूरी तरह असंवैधानिक भी नहीं कहा जा सकता है। यह सही है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक विधि का दायरा काफी व्यापक है, और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम तौर से कानूनी तरीकों को ही अपनाना चाहिए लेकिन सत्याग्रह तो एक अन्तिम औजार है। गाँधी और जयप्रकाश जैसे सत्याग्रह के समर्थक भी अन्तिम विकल्प के रूप में ही सत्याग्रह की विधि का समर्थन करते थे।

सत्याग्रह, विशेष कर सविनय अवज्ञा के औचित्य के बारे में गाँधी के विचार बिल्कुल स्पष्ट है। गाँधी के अनुसार आम नागरिकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके सहयोग के बिना सरकार काम नहीं कर सकती है। इसलिए, उन्हें सरकार के कल्याणकारी कार्यों में, अच्छे कानूनों का पालन करने में, और राज्य की रक्षा करने में सरकार के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए।

लेकिन दूसरी ओर, अगर राज्य जनता का शोषण करे, उनके विकास में बाधा उत्पन्न करे, तो नागरिकों का यह दायित्व हो जाता है कि वे अपना सहयोग वापस ले लें; और नैतिक दबाव एवं अहिंसक असहयोग द्वारा सरकार को सुधरने के लिए बाध्य करे। संक्षेप में, सरकार द्वारा अनैतिक और अन्यायपूर्ण आचरण ही सत्याग्रह का औचित्य है। सरकार द्वारा बनाए गए अनैतिक कानूनों का पालन करना नागरिकों का नैतिक दायित्व नहीं है।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print): 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

|A Monthly, Peer Reviewed Journal| Impact Factor: 6.209|

Vol. 4, Issue 11, November 2015

सत्याग्रह की विधि सामाजिक राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उत्तम विधि है। यह सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर आधारित एक उच्च आदर्श है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक विधि और अन्तिम विकल्प के रूप में सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा और आतंकवाद के इस्तेमाल का कोई नैतिक औचित्य नहीं है। जहाँ पर परिस्थितियाँ अलोकतांत्रिक हो, वहाँ पर भी जहाँ तक सम्भव हो, इस विधि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसा कि भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में किया गया था।

सत्याग्रह के मूल में सामने वाले व्यक्ति की अच्छाई में विश्वास निहित है। इसलिए, सत्याग्रह की सफलता बहुत कुछ सामने वाले की अच्छाई पर निर्भर है। हिटलर और स्टालिन जैसे निर्मम और क्रूर तानाशाहों के सामने सत्याग्रह की विधि कितनी कारगर होगी, इसमें संदेह है।

चीन की राजधानी बेइजिंग के प्रमुख चौराहे पर जब लोकतंत्र समर्थक छात्र-युवा चीनी सेना के टैंकों के आगे लेट गए, तो उन्हें निर्ममता पूर्वक टैंकों द्वारा कुचल दिया गया। इसी तरह, इसमें भी संदेह है कि विदेशी आक्रमणकारी सेना के सामने सत्याग्रही क्रूर तानाशाहों या आक्रमणकारी सेनाओं की "अन्तर्निहित मानवीय भावनाओं" को जगाने के प्रयत्न में अपने जान की बलि चढा दे। सेना का मुकाबला सेना के जरिए ही किया जाना चाहिए। लेकिन एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह की विधि कारगर हो सकती है।

संदर्भ सूची

1. महात्मा गाँधी का समाज दर्शनः महादेव प्रसाद, हरियाणा साहित्य अकादमी, 1973
2. समाज और राजनीति दर्शनः डॉ रमेन्द्र, मोतीलाल बनारसी दास, 2003
3. गाँधीजी की देनः डॉ राजेन्द्र प्रसाद, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2008
4. महात्मा गाँधी का सामाजिक एवं आर्थिक दर्शनः डॉ अनुराधा कुमारी, प्राच्य प्रकाशन, पटना, 2009
5. मेरी विचार यात्राः जयप्रकाश नारायण, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 2004
6. नील-संघर्ष और गाँधी: ब्रजकिशोर सिंह, प्राच्य प्रकाशन, पटना, 2009